छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर

सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत) तथा उप अभियंता (सिविल/विद्युत) के पद पर सीधी भर्ती

विज्ञापन

क्रमांक दिनांक

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अधीन सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत) तथा उप अभियंता (सिविल/विद्युत) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीद्वारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 19.11.2014 से 01.12.2014 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण

सहायक अभियंता (सिविल) :-

क.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अनारक्षित	05	01	01	—	07
2	अनुसूचित जाति	02	—	—	—	02
3	अनुसूचित जनजाति	04	01	—	—	05
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	—	—	—	02
	योग	**13**	**02**	**01**	—	**16**

सहायक अभियंता (विद्युत) :-

क.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अनारक्षित	01	—	—	—	01
2	अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	01
	योग	**02**	—	—	—	**02**

उप अभियंता (सिविल) बैकलाग

क.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अनुसूचित जनजाति	03	01	01	01	06
	योग	**03**	**01**	**01**	**01**	**06**

उप अभियंता (सिविल) :-

क.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अनारक्षित	21	07	02	—	30
2	अनुसूचित जाति	07	02	—	—	09
3	अनुसूचित जनजाति	17	05	01	—	23
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	02	01	—	10
	योग	**52**	**16**	**04**	—	**72**

उप अभियंता (विद्युत) :-

क.	श्रेणी	मुक्त	महिला	विकलांग	भूतपूर्व सैनिक	कुल रिक्त पद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	अनारक्षित	03	01	01	–	05
2	अनुसूचित जाति	02	–	–	–	02
3	अनुसूचित जनजाति	03	01	–	–	04
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	–	–	–	02
	योग	**10**	**02**	**01**	–	**13**

उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 04.12.2014 में दिये गये निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ 13–14/2009/आप्र/1/3 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में संशोधित आरक्षण रोस्टर लागू होंगे ।

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करनें तक सीमित रहेगा। मेरिट के आधार पर चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जावेगी।

<u>भाग - अ</u>

1. ऑनलाइन आवेदन की तिथि – 19.11.2014 से 01.12.2014 रात्रि 11.59 बजे तक ।
   ऑफ लाईन (ICICI, SBI Bank के चालान द्वारा) पेमेन्ट – 02.12.2014 को बैंक के कार्यालयीन समय तक
2. परीक्षा तिथि – 21.12.2014 –सहायक अभियंता विद्युत, समय : प्रातः 9.00 से 12.00 (150 अंक)
   उप अभियंता विद्युत, समय : अपरान्ह 2.00 से 5.00 (150 अंक)
   28.12.2014 –सहायक अभियंता सिविल, समय : प्रातः 9.00 से 12.00 (150 अंक)
   उप अभियंता सिविल, समय : अपरान्ह 2.00 से 5.00 (150 अंक)
3. परीक्षा शुल्क :–
   (अ) अनारक्षित वर्ग हेतु – 450/– रू.
   (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु – 350/– रू.
   (स) अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग हेतु – 300/– रू.

यदि कोई अभ्यर्थी सहायक अभियंता तथा उप अभियंता दोनों पद हेतु एक ही विषय (सिविल अथवा विद्युत) परीक्षा देना चाहता हो, तो उसे एक आवेदन देना होगा किन्तु रू. 100/– अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

परीक्षा शहर – अम्बिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर ।

1. नियम एवं शर्तें –

1. शैक्षणिक योग्यता एवं वेतनमान –

<u>सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत) पद के लिए :–</u>

1. वेतनमान – 15600–39100 + ग्रेड पे. 5400/–
2. शैक्षणिक योग्यता – स्नातक (सिविल/विद्युत), इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष योग्यता

<u>उप अभियंता (सिविल/विद्युत) पद के लिए :–</u>

1. वेतनमान – 9300–34800 + ग्रेड पे. 4200/–
2. शैक्षणिक योग्यता – न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा (सिविल/विद्युत) इंजिनियरिंग में उपाधि

टीप :–उपाधि अथवा डिप्लोमा का तात्पर्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से राज्य शासन द्वारा मान्य उपाधि एवं डिप्लोमा से है।

2. निर्धारित आयु सीमा –

1. सहायक अभियंता (सिविल/विद्युत) पद के लिए आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2014 को 21 से 35 वर्ष तथा उप अभियंता (सिविल/विद्युत) पद के लिए आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक होना चाहिए, किन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3–2/2002/1–3 नया रायपुर, दिनांक 27.09.2013 में दिये गये निर्देष के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी ।

(क) यदि अभ्यर्थी अनूसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलियर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ख) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम–(4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वष शिथिलनीय होगी ।

(ग) उन अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जावेंगी –

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।*(परंतु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परंतु यह और भी इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)*

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए । यह रियायत् आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। *(परंतु यह कि आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं महिला/विधवा/परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परंतु यह और भी इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।)*

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, ''जो छटनी किये गये शासकीय सेवक'' हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूव में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक–से–अधिक सात वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:– शब्द ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम–से–कम छः माह तक की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक–से–अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुख किया गया है ।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा से सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा ;

परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरणः– शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम–से–कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक–से–अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशेन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें:–

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो ;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमिशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) ;

(5) अवकाश पर निरंतर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुख किये गये अधिकारी ;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो ;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुख किया गया है, कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है ;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(ङ.) उन अभ्यार्थियों के लिए भी परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के संवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(ज) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु सीमा तक शिथिलनीय होगी । *(परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी)*

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38

(अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । *(परंतु उपरोक्त सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी)*

टिप्पणी :–

(1) उपरोक्त विनियम–8 (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देतें हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे । तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो पात्र बने रहेंगे ।

(ञ) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू रहेंगे ।

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी मण्डल की सेवा में नियुक्ति हेतु उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

3. पात्रता की शर्तें–

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चहिए ।
2. शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को चयन के पश्चात् नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा ।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

4. चयन–

व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के मेरिट सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर चयन किया जायगा ।

1. सामान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय की जावेगी । जिस अभ्यार्थी के जन्म तिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी ।
2. चयनित सहायक अभियंता को मण्डल में उपस्थिति के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा तथा रू. 5.00 लाख एवं उप अभियंता के लिए रू. 3.00 लाख का बॉन्ड अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा ।
3. मण्डल हित में चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कार्यक्षेत्र में कहीं भी की जा सकती है ।
3. चयनित उम्मीदरवार को कार्यग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । मूल दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेज में अंतर होने पर आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
4. चयनित उम्मीदवार को पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन इस हेतु राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किए जाने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा।

5. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है अतएवं नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्ति की जा सकती ह ।

6. चयनित कर्मचारी/अधिकारी की सेवाएं या तो कर्मचारी/अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी को या नियुक्त अधिकारी द्वारा कर्मचारी/अधिकारी को एक माह की पूर्व सूचना देकर या एक माह का वेतन भुगतान कर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

7. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी ।

8. प्रतीक्षा सूची 30 प्रतिशत के अंतर्गत एक वर्ष तक के लिए लागू रहेगा।

9. चयन के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

नोट – भाग –ब परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा भाग–स परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर